उत्तर प्रदेश शासन
शिक्षा अनुभाग–6
संख्या–899(3)/79–6–2014
लखनऊः दिनांकः 4 अगस्त, 2014
कार्यालय ज्ञाप

निःशुल्क एव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के बी0एड0, एल0टी0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0, बी0पी0एड0, बाम्बे आदि, शिक्षा विसारद हिन्दी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद व (डा0 सम्पूर्णानन्द संस्कत विश्वविद्यालय वाराणसी), शिक्षा प्रवेशिका व शिक्षा अंलकार (राष्ट्रीय पात्रचार संस्थान साकेत नगर, कानपुर) आदि प्रशिक्षित एवं उच्चीकृत वेतनमान प्राप्त प्रधानाध्यापकों को सहायक अध्यापकों की भांति बी0टी0सी0 प्रशिक्षण/विशिष्ट बी0टी0सी प्रशिक्षण/बी0टी0सी0प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने हेतु उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षक एसोसिएशन द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका सं0 7620(एस0एस0)/2013 योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

Taking into consideration the innocuous prayer of learned counsel for the petitioner, without entering into the merits of the case, the present writ petition is disposed of finally with liberty to the petitioner-association to raise his grievance by submitting fresh representation within 15 days from today before the Principal Secretary, Basic Education Department, U.P., Lucknow (opposite party no. 2) along with a certified copy of this order. If any representation is made by the petitioner within the aforesaid period, the same will be considered and decided by the the Principal Secretary, Basic Education Department, U.P., Lucknow (opposite party no. 2) in accordance with law within a period of three months thereaftet.

3– उल्लेखनीय है कि उक्त रिट याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 के अनुपालन के दृष्टिगत याची द्वारा अवमानना याचिका सं0 972(सी0)/2014 योजित की गयी, जिसमें पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2014 का कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

On due consideration this Court prima-facie finds that it is a case of non compliance of the order dated 18.12.2013 passed by the Court.

Let a notice be issued to opposite party returnable at an early date, to show cause as to why action may not be taken against him under the provisions of Contempt of Courts Act for violation of the

Court's order dated 18.12.2013 passed in Writ Petition No. 7620 (SS) of 2013 (U.P. Ashaskiya Sahayata Prapt Vidyalaya Shikshak Association vs State of U.P. and others).

4— अवमानना याचिका सं0 972(सी0)/2014 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2014 के दृष्टिगत याची के प्रत्यावेदन दिनांक 17.01.2014 के निस्तारण हेतु दिनांक 24.07.2014 को आयोजित बैठक जिसमें याची (श्री पूर्णमासीदीन प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन) एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में हुई चर्चा/विचार—विमर्श के क्रम में निर्गत कार्यवृत्त दिनांक 01.08.2014 में लिया गया निर्णय निम्नवत हैः—

"समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान पर संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक की भाँति अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों को भी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के तहत 6 माह का विशेष प्रशिक्षण कराया जाना होगा तथा प्रश्नगत विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण मुक्ति नहीं दी जायेगी। इस हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अप्रशिक्षित अध्यापकों, जिन्हें प्रशिक्षण में भाग लेना है, का पूर्ण विवरण उनकी शैक्षिक योग्यता आदि निदेशक एस0सी0ई0आर0टी को उपलब्ध कराया जायेगा। इस संबंध में यह भी मत स्थिर हुआ कि पूर्व में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 13.08.2012 में लिए गये निर्णय की भाँति उपरोक्तानुसार प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था समाज कल्याण विभाग द्वारा की जायेगी।"

तदनुसार रिट याचिका सं0 7620(एस0एस0)/2013 उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.12.2013 के अनुपालन में प्राप्त याची के प्रत्यावेदन दिनांक 17.01.2014 को एतदद्वारा निस्तारित किया जाता है।

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ।
2— प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
3— निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4— निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0 लखनऊ।
5— श्री पूर्णमासीदीन प्रान्तीय महामंत्री, उ0प्र0 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय शिक्षक एसोशिएशन, अम्बेडकर शिक्षा निकेतन, बडी लालकुर्ती कैन्ट लखनऊ।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या–829 / 26–2–2012–100(16)05

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ :दिनांक 04 मई, 2012

विषय:–समाज कल्याण विभाग के अर्न्तगत निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–1293 / 26–2–10–100(16)05 दिनांक 26 अप्रैल 2010 एवं पत्र संख्या–1455 / 26–2–2010–100(16)05 दिनांक 03 जून, 2010 जिसके द्वारा समाज कल्याण विभाग के अर्न्तगत आवर्तक अनुदान पर संचालित (गैर सरकारी) प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध प्राइमरी प्रभाग के शिक्षक / शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण मुक्ति दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश संख्या–1747 / 79–6–03–22(17) / 02, शिक्षा अनुभाग–6 दिनांक 09 दिसम्बर 2003 से प्रदत्त सुविधा उन्हीं शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ तात्कालिक प्रभाव से दिये जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश में अध्यापक / अध्यापिकाओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण मुक्ति के आदेश सम्बन्धित मण्डल के मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा निर्गत किये जाने की व्यवस्था है तथा उक्त व्यवस्था पर उपाशयित व्यय भार को अनुदान संख्या–71 के संगत लेखा शीर्षक में प्राविधानित बजट से वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

2– उक्त व्यवस्था पर उपाशयित व्यय भार को समाज कल्याण विभाग के अनुदान संख्या–80 के संगत लेखाशीर्षक में प्राविधानित बजट से वहन किये जाने की व्यवस्था न होने तथा प्रशिक्षण मुक्ति प्रदान किये जाने हेतु किसी सक्षम आधिकारी को नामित न किये जाने के कारण उक्त शासनादेश संख्या–1293 / 26–2–10–100(16)05 दिनांक 26 अप्रैल 2010 एवं पत्र संख्या–1455 / 26–2–2010–100(16)05 दिनांक 03 जून,2010 का अनुपालन नहीं हो पाया।

3– उक्त शासनादेशों का अनुपालन न होने के कारण प्रकरण के सम्बन्ध में न्याय एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया और सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेशों को निरस्त करते हुए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार निर्धारित समयावधि में अप्रशिक्षित अध्यापक / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जाय, अन्यथा निर्धारित अवधि में प्रशिक्षित न होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा।

4– कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

5– यह आदेश वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–517 / दस–2012 दिनांक 03 मई,,2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे।

भवदीय,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव

संख्या-829(1)/26-2-2012-100(16)05 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-निदेशक, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0 लखनऊ
2-समस्त कोषाधिकारी,उ0प्र0
3-समस्त उप निदेशक समाज कल्याण/जिला समाज कल्याण अधिकारी
4-समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी,उ0प्र0
5-वित्त(वेतन आयोग)अनुभाग-1/2
6-अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो।
7-समाज कल्याण अनुभाग-1/3
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव